न्यायालय जिला कलक्टर,नागौर

बइजलास–डॉ0 अमित यादव, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –170/2022
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर–2022/209

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
कमल दत्तक पुत्र बिरमाराम,जाति–जाट निवासी–सरासनी, तहसील व जिला नागौर।		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर, जिला–नागौर

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री रमेश कुमार ढाका।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

:: निर्णय :: दिनांक :–29.08.2023

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत तहसीलदार,नागौर द्वारा प्रकरण संख्या–06/2021 सरकार बनाम कमल में पारित निर्णय दिनांक 28.12.2021 से असंतुष्ट होकर दिनांक 23.05.2022 को प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट की अपील ताबेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने अपील के साथ मियाद प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ–पत्र पेश किया है। मयाद प्रार्थना पत्र पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने मियाद के बिन्दु पर बहस में कथन किया कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 6.9.2021 को जबाब के लिये अवसर चाहा, किन्तु उस वक्त आगामी तारीख पेशी नहीं बताई गई तथा उसके बाद में आगामी पेशी के दौरान कोविड–19 के कारण न्यायिक कार्यवाही बंद होने के बावजूद माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने उस दौरान अप्रार्थी व उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति दर्शाते हुये दिनांक 22.9.2021 तथा दिनांक 22.9.2021 के पश्चात् किसी प्रकार की कोई कार्यवाही लिखे बिना ही तथा उसके पश्चात् साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये बिना ही तहसीलदार, नागौर ने अपीलांट के विरुद्ध दिनांक 28.12.2021 को आदेश जैर अपील पारित कर दिया। जबकि आदेशिका तो 22.9.2021 के पश्चात् लिखी ही नहीं गई। इस प्रकार माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने न तो रेस्पोडेंट की कोई साक्ष्य ली और न ही अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया तथा मंगरा की भूमि के संबंध में आदेश जैर अपील पारित कर दिया, इसलिये इस दौरान कोविड–19 के कारण न्यायिक कार्य नहीं होने व अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी नहीं होने से उक्त निर्णय जानकारी के दिवस से अन्दर मयाद पेश किये जाने का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपीलान्ट की उक्त अपील को अन्दर मयाद शुमार कर अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार द्वारा दौराने बहस अपील अपीलान्ट मयाद बाहर होने का कथन करते हुऐ अपील अपीलांट को खारिज किये जाने का निवेदन किया हैं।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथन पर विचार करते हुए न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर मयाद शुमार किया जाता हैं।

कलक्टर नागौर

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मूल अपील पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का हरिमा ने गलत तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट पेश की हैं कि कमल दत्तक पुत्र बिरमाराम,जाति–जाट,निवासी–सरासनी, तहसील व जिला नागौर द्वारा मौजा सरासनी के खसरा नम्बर 87 रकबा 2.14 बीघा गेर मुमकीन मंगरा भूमि पर सम्वत् 2078 में ढाणी, तारबंदी व पट्टीया रोपकर अतिक्रमण किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत उक्त गलत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 6.9.2021 को जबाब के लिये अवसर चाहा, किन्तु उस वक्त आगामी तारीख पेशी नहीं बताई गई तथा उसके बाद में आगामी पेशी के दौरान कोविड–19 के कारण न्यायिक कार्यवाही बंद होने के बावजूद माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने उस दौरान अप्रार्थी व उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति दर्शाते हुये दिनांक 22.9.2021 तथा दिनांक 22.9.2021 के पश्चात् किसी प्रकार की कोई कार्यवाही लिखी नहीं गई तथा उसके पश्चात् साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये बिना ही तहसीलदार, नागौर ने अपीलांट के विरूद्ध दिनांक 28.12.2021 को आदेश जैर अपील पारित कर दिया। जबकि आदेशिका तो 22.9.2021 के पश्चात् लिखी ही नहीं गई। इस प्रकार माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो रेस्पोडेंट की कोई साक्ष्य ली और न ही अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया तथा मंगरा की भूमि के संबंध में आदेश जैर अपील पारित कर दिया, जबकि माननीय अधीनस्थ न्यायालय को नरम रूख अख्तयार करते हुये उक्त भूमि को नियमन करने के लिये नियमन कमेटी को भेजना चाहिए था। इसलिए तहसीलदार, नागौर का निर्णय एक तरफा एवं विधि विरूद्ध हैं।

पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट कब तैयार की गई और उक्त खसरा नम्बर का क्या नाप चोप है इसका कोई उल्लेख नजरी नक्शा में नहीं किया है और न ही आवेदन को साबित करने के लिये पटवारी, भू–अभिलेख निरिक्षक के बयान लिये गये और दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये। पटवारी ने गलत आधार पर अपीलांट के विरूद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही की है।

माननीय अधीनस्थ न्यायालय के सामने यह स्थिति स्पष्ट थी कि, कोविड 19 के कारण न्यायिक कार्य माननीय राजस्थान उच्च न्यायायल एंव माननीय राजस्व मण्डल,अजमेर द्वारा स्थगित कर दिया गया एवं पक्षकारों की उपस्थिति न्यायालय में आवश्यक नहीं थी,उसके बावजूद अप्रार्थी को अनुपस्थित बताते हुऐ निर्णय पारित किया गया हैं।

प्रश्नगत भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि नहीं है बल्कि नियमन योग्य भूमि है। उक्त तथ्यों पर भी विचार किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया हैं तथा पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट से रंजिश रखने वाले लोगों को खुश करने के लिये गलत रूप से उक्त कार्यवाही करने का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा मुकदमा संख्या–06/2021 में पारित निर्णय दिनांक 28.12.2021 को निरस्त करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार ने बहस में कथन किया कि ग्राम सरासनी के खसरा नम्बर 87 रकबा 2.14 बीघा गै.मु. मगरा किस्म की भूमि पर अपीलान्ट द्वारा ढाणी व तारबन्दी पट्टीया रोपकर करने के संबंध में पटवारी हरीमा द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक भदाणा से सत्यापित रिपोर्ट दिनांक 27.07.2021 को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नागौर के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर दस्तावेज पेश करने हेतु अवसर चाहा, जो दिया गया। आगामी पेशी पर अपीलान्ट अथवा अपीलान्ट के अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर तत्पश्चात निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो पूर्णतया उचित एवं विधि सम्मत पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा हस्तगत अपील में कथन किया गया है कि "विवादित जायगा

कलेक्टर नागौर

प्रतिबन्धिक श्रेणी की भूमि नहीं है बल्कि नियमन योग्य भूमि है।" अपीलान्ट के उक्त कथन से ही स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा विवादित जायगा पर अतिक्रमण किया गया है, जहां तक उक्त भूमि नियमन योग्य होने का अपीलान्ट का कथन है। उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि नियमन की कार्यवाही एवं धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही, दोनों पृथक–पृथक कार्यवाही है। हस्तगत प्रकरण में धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही है, जो नियमन की कार्यवाही नहीं होने का कथन करते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में ग्राम सरासनी के खसरा नम्बर 87 रकबा 2.14 बीघा गै.मु. मगरा किस्म की भूमि पर अपीलान्ट द्वारा ढाणी व तारबन्दी पट्टीया रोपकर अतिक्रमण करने के संबंध में पटवारी हरीमा द्वारा भू– अभिलेख निरीक्षक भदाणा से सत्यापित रिपोर्ट दिनांक 27.07.2021, जिस पर नक्शें में लाल स्याही से अपीलान्ट का अतिक्रमण दर्शाया गया है, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नागौर के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अपीलान्ट के अधिवक्ता दिनांक 06.09.2021 को उपस्थित हुवे हैं। धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट, सूक्षम कार्यवाही है। इसलिए अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस दिया गया परन्तु उसके उपरान्त भी अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा अपने स्वामित्व के कोई दस्तावेज पेश नहीं किये जाने पर जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, जो उचित है। इस प्रकार के प्रकरण में बयान दर्ज करवाने,उनसे जिरह करवाने की कोई आवश्यकता नहीं हैं। जब अपीलांट को इस प्रकार की भूमि पर कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं हैं तो उनके विरूद्ध राजकीय भूमि से बेदखली की कार्यवाही किया जाना ही एक मात्र उचित उपाय हैं। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट प्रश्नगत भूमि अपने स्वामित्व की भूमि साबित करने में असफल रहा हैं। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत टी0पी0 रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूमि गै0मु0 मगरा राजकीय भूमि हैं। इस प्रकार की भूमि में किसी व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं। प्रश्नगत भूमि काबिल कास्त भूमि नहीं हैं तथा अपीलांट का भी कब्जा कास्त या जरिऐ फसल नहीं हैं। वैसे भी नियमन की कार्यवाही एवं धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही, दोनों पृथक–पृथक कार्यवाहियां है। हस्तगत प्रकरण में धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही है, जो नियमन की कार्यवाही नहीं है। इसलिए धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट के प्रकरण में विवादग्रस्त भूमि के नियमन के संबंध में विचार किया जाना उचित नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जो अनाधिकृत कब्जा कर अतिक्रमी के विरूद्ध किया गया हैं जैर अपील उचित होने से इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार,नागौर को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अमित यादव)
जिला कलक्टर नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)